

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 402 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 30/07/20

सेवा में,

महा प्रबन्धक(परि०)
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अपसरचना,
विकास निगम लि० (सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार)
नन्दप्रयाग, चमोली।

विषय:- ~~विषय~~ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (पुराना एन०एच० 58) के किमी० 399.00(कर्णप्रयाग) से किमी० 460.00(पोखरी) तक में मौजूदा सडक में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 40.8916 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र 8बी/यू०सी०पी०/०६/76/2020/एफ०सी०/778 दिनांक 29-07-2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक रोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है:-

क्रसं०	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है० में)	दर प्रति है०	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	82.00	337184.00	27649088.00
2	एन०पी०वी० (घनत्व 0.3)	40.8916	657000.00	26885781.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर,
(चमोली)